उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या – ...23.../ 2018

तेजन मुण्डा बनाम् राज्य एवं पीटर मुण्डा वगै0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
18/08/2018	अपीलार्थी तेजन मुण्डा द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या– 49/2014–15 में दिनांक 25.05.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S- 215 C.N.T. Act. के तहत् न्यायालय में अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन के साथ U/S- 5 Limtation Act.1963 के तहत् कालबाद्ध को क्षान्त हेतु आवेदन एवं निम्न न्यायालय में पारित आदेश की सच्चिप्रति संलग्न है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक ...05/09/2018... को रखें। 18/8/18 उपायुक्त, रामगढ़।	
05/09/18	अपीलार्थी –पुकार करने पर अनुपस्थित दिनांक 19/09/2018 को रखें। 05/9/18	
19/09/2018	पी० पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक–12/10/2018 को रखें। प्र० लि०	

12/10/18	अपीलार्थी – वकालतन हाजरी आदेश हेतु रखें।
12/10/2018	–:: आदेश ::– अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय में लबंति है। फलतः उक्त परिपेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करना नियम के प्रतिकुल होगा। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन पोषणीय नहीं हैं, अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। 12/x/18 उपायुक्त, रामगढ़।

Scanned by CamScanner